| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए। |
|---|---|---|
| 17.03.2020 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से विक्रमसिंह नाथावत उपस्थित। उक्त प्रार्थना–पत्र वर्तमान में बहस में विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थीगण अधिवक्ता को बहस ओर लम्बा समय प्रदाय किया जा चुका है। प्रकरण में एकपक्षीय बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि मूलवाद का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा से पाबंद किया जावें।<br>पत्रावली का अवलोकन किया। मूलवाद प्रार्थी ने 188 आर. टी.एक्ट. के तहत प्रस्तुत कर रखा है। मूलवाद साक्ष्य एवं कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु विचाराधीन है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 15.06.2005 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मोकलावास तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 419 रकबा 14 बीघा, 419/1 रकबा 13 बीघा 02 बिस्वा 419/2 रकबा 14 बीघा की भूमियों के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है।<br>पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।<br><br>**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,**<br>**जोधपुर** | |

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2020.03.20 11:05:28 IST
Reason: SelfAttested